

उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

5.1.24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा इप
है पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली में विवादित भूमि का सीमाज्ञान
करवाये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तवेज
पेश नहीं किया है। अतः पत्थरगढ़ी
करवाये जाने का यह आणपत्र विचारणीय
नहीं है वकील शर्मा ने ~~कोई~~ दस्तवेज
पेश करने हेतु अवसर चाहा। अवसर
दिया जाकर पत्रावली दि. 7/2/24 को
पेश है।

7.2.24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा इप
है सीमाज्ञान के सम्बन्ध में कोई
दस्तवेज पेश नहीं किये। सीमाज्ञान के
अभाव में पत्थरगढ़ी का आणपत्र विचारणीय
नहीं है अतः न्यायालय इस आणपत्र
को जैरकार रखना उचित नहीं
समझता है। शर्मा का आणपत्र पत्थरगढ़ी
हेतु खारिज किया जाता है। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर के कम की जाकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनदा (बुन्देल)

